



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 10383 / 03 / 76 / एक / 2018-19

दिनांक : 07 फरवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-गाजियाबाद।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
सिडिकेब बैंक	85562010120829	IFSC Code SYNB0008556	192.842

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	इन्दराज कालोनी भाग-1 में देवकरया से वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	14.907	50%
2	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	इन्दराज कालोनी भाग-2 में सी०वी० स्केल से खेमचन्द्र के मकान तक आशीष से महावीर के मकान तक, संध्या से जयप्रकाश के मकान तक, अमर सिंह से जौनी के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	9.684	50%
3	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	इन्दराज कालोनी भाग-3 में राजेश्वरी से रिनपाल के मकान तक, अमीरजीत सिंह से ओमप्रकाश मकान तक, बाबूराम से प्रेम के मकान तक, दिखाती से विरेन्द्र के मकान तक, निशा से नरेश के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	4.889	50%
4	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	इन्दराज कालोनी भाग-4 में अशोक से हितेश के मकान तक, राहुल से राजकुमार वर्मा के मकान तक, नीरज से पवन के मकान तक, निरज से राजबीर के मकान तक, सत्यबीर से विनोद के मकान तक, पवन से विनोद के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	10.530	50%



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व गलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
5	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	आदर्श कालोनी भाग-1 में रामगोपाल से एस०पी० सिंह के मकान तक, औम टेन्ट हाउस से खित्तूराम के मकान तक, नवली से महेन्द्र के मकान तक, अंकित से इन्द्रीस के मकान तक, राजबीर से धर्मबीर के मकान तक, राजबीर से मुकेश के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	15.125	50%
6	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	आदर्श कालोनी भाग-2 में धर्मबीर से ज्योति के मकान तक, दिनेश से तिलकराम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	3.746	50%
7	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	बौद्ध विहार भाग-डी में राके श से मोहित के मकान तक, प्रमोद से मपूरी के मकान तक, रामनाथ से नरेश के मकान तक, नन्हें से राजबालक के मकान तक, हाकिम से सोनू के मकान तक, जीमल से जयवीर के मकान तक, बंगाली से दिनेश के मकान तक, राजेश से सतपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	10.739	50%
8	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	बौद्ध विहार भाग-एच में मुकेश से रंजीत के मकान तक, बिजेन्द्र से लोकेश के मकान तक, महेन्द्र से अनिल के मकान तक, रूपचरन से सुमन के मकान तक, विजय से सुरेन्द्र के मकान तक, दिनेश से मुकेश के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	14.920	50%
9	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	बौद्ध विहार भाग-एच में सुभाष के मकान तक, कमला से रियाजुददीन के मकान तक, राजेश से रोहतास के मकान तक, रोहतास से मीन के मकान तक, दिलशाद के आयूब के मकान तक, दीन मौ० से जयभगवान के मकान तक एवं हरीस से तिलक के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	8.399	50%
10	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	गगन बिहार भाग-1 में सुरेश से बलजदेव के मकान तक, राजेश से जीवनलाल के मकान तक, रतिलाल से विशाल के मकान तक, रतिलाल से रणवीर के मकान तक, रमेश से जयदुर्गे प्रापटी तक, शकुन्तला से हरीश के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	12.683	50%

✓



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनाद्वारा धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
11	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	गगन बिहार भाग-2 में लालजी से विजय कुमार के मकान तक, ओम प्रकाश से शमीम के मकान तक, ग्रेट से स्कूल से नन्दन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	5.658	50%
12	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	राजीव गार्डन में रिकू से राजू के मकान तक, अमित से मोनू के मकान तक, कमलेश से मिथलेश के मकान तक, अशोक से प्रमोद के मकान तक, सीनू से नौबत के मकान तक, काले मलिक से सत्यप्रकाश के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	7.656	50%
13	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	अशोक विहार भाग-5 में रिरोज से मदरसा के मकान तक, इदरीश से इस्लाम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	6.980	50%
14	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	अशोक विहार भाग-4 में मनवर आफिस से हबीब के मकान तक, सानू जैतनू के मकान से जमाल के मकान तक, औलिया मस्जिद से कमरुद्दीन के मकान तक, सुफी फबददीन से सरुराज के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	12.896	50%
15	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	अशोक विहार भाग-3 में फिरोज से मदरसा तक, निसार से सरीफ के मकान तक, सराफत से पप्पू के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	8.354	50%
16	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	अशोक विहार भाग-2 में शैकिन से कामिल के मकान तक, ओमप्रकाश से अब्दुल गफफार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	9.720	50%
17	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	पूजा कालोनी भाग-3 में रिण से जयकरण के मकान तक, जीर से रविन्द्र के मकान तक, दीपक से ब्रिजेश के मकान तक, ब्रिजेश से शमसाद के मकान तक, नरेन्द्र से जयकरण के मकान तक, ब्रिजेश से जयकरण के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	12.247	50%
18	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	पूजा कालोनी भाग-2 में अंसार मस्जिद से परविन्द्र के मकान तक, सिराजुद्दीन फौजी से परविन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	10.280	50%



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
19	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	प्रित बिहार भाग-2 में युनुस से सुखबीर के मकान तक, इकबाल से पंजाबी के मकान तक, राम जी से मोमीन के मकान तक, सुखबीर से मुख्तार के मकान तक, माजिद से कर्मसिंह के मकान तक अजीज से कर्मसिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	7.585	50%
20	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०नि० गाजियाबाद	प्रित बिहार भाग- में दजहार से बाबू के मकान तक, रामजी से मोमीन के मकान तक, मांगे से अलीस के मकान तक, रफीक से अलीमुददीन के मकान तक, अनीस से गुड्डु के मकान तक, मांगे से इकबाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	5.844	50%
	योग				192.842	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक